# फर्द अहकाम

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

**प्रार्थी :— श्री नरेन्द्रकुमार** | **विपक्षी :— श्री रवि कुमार**

**किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि.** | **पत्रावली संख्या : 85/23**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 30.06.2023

पत्रावली विपक्षीगण मय अधिवक्ता विपक्षीगण श्री कमलेश जैन द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा वाद का जवाब पेश नहीं करना चाहकर बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार है, विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी है एवं प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की, इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

### —: आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3091 मी. किता 1 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि के उत्तरी पूर्वी सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

**(श्रीकान्त व्यास)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:34:08 IST
Reason: SelfAttested